न्यायालय:-प्रथम अपर जिला न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड (म०प्र०) (समक्ष:- सतीश कुमार गुप्ता

वैवाहिक प्र0क0 67/17 प्रस्तुति दिनांक 12.09.17

विपिन शर्मा पुत्र ग्याप्रसाद आयु 26 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नंबर 2 गंज बाजार गोहद तहसील गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

.....आवेदक

|| <u>बनाम</u>||

श्रीमती अंजली शर्मा पत्नी विपिन शर्मा निवासी ग्राम विजौली थाना विजौली परगना व जिला ग्वालियर (म0प्र0)

.....अनावेदिका

आवेदक द्वारा–श्री अरूण श्रीवास्तव अधिवक्ता। अनावेदिका-अनुपस्थित एवं पूर्व से एकपक्षीय।

।।<u>निर्णय</u>।।

(आज दिनॉक 28.04.2018 को घोषित)

- आवेदक की ओर से यह याचिका हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 01. के अंतर्गत अनावेदिका से हुए विवाह विच्छेद के संबंध में प्रस्तुत की गई है।
- आवेदक की ओर से प्रस्तुत याचिका संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक का विवाह अनावेदिका के साथ दिनांक 01.07.2014 को हिंदू रीति रिवाज अनुसार परगना गोहद STITUTE STATE

जिला भिण्ड में संपन्न हुआ था। शादी के बाद अनावेदिका उसके साथ एक वर्ष तक ससुराल ग्राम विजौली जिला ग्वालियर में अच्छे से रही, लेकिन उसके बाद अनावेदिका, आवेदक व उसके माता-पिता से छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करने लगी और आवेदक की गैर मौजूदगी व आवेदक से बिना अनुमित लिये अपने मायके जाने लगी एवं घरेलू कार्य करने से भी मना करने लगी। आवेदक व उसके माता-पिता के द्वारा अनावेदिका को कई बार समझाया कि वे समाज में भले व्यक्ति हैं और गृह क्लेश किये जाने के कारण उनके परिवार की छवि धूमिल हो रही है तो अनावेदिका ने आवेदक से कहा कि वह उसके माता पिता के साथ सिम्मिलत नहीं रह सकती है व परिवार से अलग रहेंगे अन्यथा वह आवेदक को छोड़कर अपने मायके चली जावेगी। अतः आवेदक, अनावेदिका के साथ मजबूरन अपने वृद्ध माता-पिता से पृथक गोहद में निवास करने लगा, लेकिन इन सबके बावजूद भी अनावेदिका द्वारा आवेदक के साथ उपरोक्तानुसार कूरतापूर्ण व्यवहार जारी रखा गया तथा उसके द्वारा धमकी दी गई है कि वह आत्महत्या करके आवेदक एवं उसके परिवार को झूंटे केस में फंसा देगी और वह वर्ष 2016 में आवेदक को बिना बताये अपने माता-पिता के घर चली गई है तथा कई बार अनावेदिका को लिबाने का प्रयास किये जाने पर उसने आवेदक के साथ आने से इंकार कर दिया है और उसके माता–पिता ने भी अनावेदिका को आवेदक के साथ भेजने से इंकार कर दिया है, जिससे अनावेदिका के साथ रहकर आवेदक के लिये दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना संभव नहीं रह जाने के कारण आवेदक, अनावेदिका से तलाक लेना चाहता है। अतः याचिका प्रस्तुत कर आवेदक एवं अनावेदिका के मध्य हुये विवाह दिनांकित 01.07.2014 को विच्छेदित किये जाने का निवेदन किया गया है।

- 03. अनावेदिका को रिजस्टर्ड डाक के माध्यम से नोटिस की तामीली हो जाने के बावजूद बिना किसी योग्य कारण के अनावेदिका के अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध आदेश पत्रिका दिनांक 26.03.2018 अनुसार प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है।
- 04. इस याचिका के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं:-

1.क्या अनावेदिका के द्वारा आवेदक के प्रति कूरतापूर्ण व्यवहार किये जाने के परिणामस्वरूप आवेदक वांछित विवाह विच्छेद की सहायता पाने का पात्र है ?

//साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष //

05. जहाँ तक उक्त विचारणीय प्रश्न का संबंध है, अभिलेखगत साक्ष्य सहित

प्रकरण के संपूर्ण अभिलेख का गहन परिशीलन तथा मूल्यांकन करने पर पाया जाता है कि आवेदक विपिन शर्मा आ0सा0-1 का अभिवचनों के अनुरूप अपने साक्ष्य शपथ पत्र में कहना है कि उसका विवाह अनावेदिका के साथ दिनांक 01.07.2014 को हिंदू रीति रिवाज अनुसार परगना गोहद जिला भिण्ड में संपन्न हुआ था। शादी के बाद अनावेदिका उसके साथ एक वर्ष तक ससुराल ग्राम विजौली जिला ग्वालियर में अच्छे से रही, लेकिन उसके बाद अनावेदिका, उसके व उसके माता-पिता से छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करने लगी और उसकी गैर मौजूदगी व उससे बिना अनुमित लिये अपने मायके जाने लगी एवं घरेलू कार्य करने से भी मना करने लगी। उसके व उसके माता-पिता के द्वारा अनावेदिका को कई बार समझाया कि वे समाज में भले व्यक्ति हैं और गृह क्लेश किये जाने के कारण उनके परिवार की छवि धूमिल हो रही है, लेकिन अनावेदिका ने उससे कहा कि वह उसके माता पिता के साथ सिम्मिलत नहीं रह सकती है व परिवार से अलग रहेंगे अन्यथा वह उसे छोड़कर अपने मायके चली जावेगी। अतः वह अनावेदिका के साथ मजबूरन अपने वृद्ध माता-पिता से पृथक गोहद में निवास करने लगा, लेकिन इन सबके बावजूद भी अनावेदिका द्वारा उसके साथ उपरोक्तानुसार कूरतापूर्ण व्यवहार जारी रखा गया तथा उसके द्वारा धमकी दी गई है कि वह आत्महत्या करके उसे एवं उसके परिवार को झूंटे केस में फंसा देगी और वह वर्ष 2016 में उसको बिना बताये अपने माता-पिता के घर चली गई है तथा कई बार अनावेदिका को लिवाने का प्रयास किये जाने पर भी उसने उसके साथ आने से इंकार कर दिया है और उसके माता-पिता ने भी अनावेदिका को उसके साथ भेजने से इंकार कर दिया है।

- 06. आवेदक पक्ष के साक्षीगण रहूप खांन आ०सा0—2 व श्यामसुंदर आ०सा0—3 ने भी अपने साक्ष्य शपथ पत्र में उपरोक्तानुसार कथन करते हुये आवेदक विपिन शर्मा आ०सा0—1 के उक्त कथनों को भली भांति पुष्ट किया है और प्रकरण में रिजस्टर्ड डाक के माध्यम से नोटिस की तामीली उपरांत अनावेदिका पक्ष द्वारा खंडन में न तो कोई अभिवचन किये हैं और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, बल्कि तामीली उपरांत बिना किसी योग्य कारण अनावेदिका प्रकरण में नियत पेशी दिनांक को अनुपस्थित रही है, इस कारण से प्रकरण उसके विरूद्ध एकपक्षीय रूप से अग्रसर होने तथा उसके बाद भी अनावेदिका के अनुपस्थित रहने के कारण आवेदक विपिन शर्मा आ०सा0—1 सिहत आवेदक पक्ष के दोनों साक्षीगण रहूप खान आ०सा0—2 व श्यामसुंदर आ०सा0—3 के द्वारा किये गये कथन अचुनौतीपूर्ण होकर अखंडित श्रेणी के होने से उनके कथनों पर अविश्वास किये जाने का कोई भी कारण दर्शित नहीं होता है।
- 07. अतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर अभिलेख पर आवेदक पक्ष द्वारा

प्रस्तुत अखंडित एवं अचुनौतीपूर्ण श्रेणी की साक्ष्य से यह प्रमाणित पाया जाता है कि अनावेदिका के द्वारा आवेदक के प्रति कूरतापूर्ण व्यवहार किये जाने के परिणामस्वरूप आवेदक वांछित विवाह विच्छेद की सहायता पाने का पात्र है।

- **08.** परिणामतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत विवाह विच्छेद संबंधी याचिका स्वीकार कर निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाती है:—
 - 1. आवेदक विपिन शर्मा एवं अनावेदिका श्रीमती अंजली शर्मा के मध्य दिनांक 01.07.2014 हुआ विवाह आज निर्णय दिनांक से विच्छेदित किया जाता है। आवेदक एवं अनावेदिका अब परस्पर पति—पत्नी नहीं रहे है।
 - 2. उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेगें।
 - 3. अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने परे अथवा सूची अनुसार, जो भी कम हो, 500 / – रूपए की सीमा तक मान्य की जाती है। तद्नुसार जयपत्र निर्मित किया जाये।
- 09. आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णय दिनांक से 15 दिवस के अंदर निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर अनावेदिका को उसके वर्तमान पते पर रिजस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजे और रिजस्टर्ड डाक से भेजने की रसीद प्रकरण में संलग्न करने हेतु प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया।

(सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(सतीश कुमार गुप्ता)
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)